राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3372/2024

महेश कुमार गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. एडीजीपी सह निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का आरपीएस (परिवीक्षा) के पद पर राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये दिनांक 04.10.2024 (अनुलग्नक–1) के नोटिस पर निर्णय नहीं लिया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.06.2024 (अनुलग्नक–2) को प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया है जिसके तहत अपीलार्थी को गृह विभाग में आरपीएस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद वेतन संरक्षण लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानीय स्वशासन विभाग में राजस्व अधिकारी–II के रूप में अपीलार्थी द्वारा की गई पूर्व सेवाओं पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थी को प्रारम्भ में एलएसजी विभाग में राजस्व अधिकारी–ा के पद पर दिनांक 09.11.2016 (अनुलग्नक–3) के द्वारा नियुक्त किया गया था। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने स्थानीय शासन विभाग में राजस्व अधिकारी–ा के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और दो वर्षों की संतोषजनक सेवा के पश्चात् दिनांक 04.03.2019 (अनुलग्नक–4) को राजस्व अधिकारी–II के पद पर स्थायी कर दिया गया। अपीलार्थी ने स्थानीय शासन विभाग में राजस्व अधिकारी – II के

रूप में काम करते हुए आरपीएस के पद पर भर्ती के लिए आरएएस प्रतियोगी परीक्षा–2021 में भाग लिया और विभाग की अनुमति के बाद अपीलार्थी ने आरपीएस के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसे आरपीएस के पद पर 24.05.2024 (अनुलग्नक–5) को चयनित कर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 03.06.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया और दिनांक 03.06.2024 को ही अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने पूर्व विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 03.06.2024 को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एचसीएम आरआईपीए, जयपुर को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.06.2024 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में पूर्व वेतनमान/रनिंग पे बैंड एल–12 में मूल वेतन 48400 तथा ग्रेड पे 4800 लेने के विकल्प हेतु सहमति प्रदान की गई। किन्तु अपीलार्थी को अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है तथा कर्मचारी को सेवा में पुनः शामिल करके वेतन दिया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में अंतिम वेतन निर्धारण प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की (अनुलग्नक–7)। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 464/2016 अशोक कुमार बनाम राज्य और अपील संख्या 4715/2022 दीपक कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा विचार किया और यह निर्णय दिया कि संबंधित कर्मचारी नए पद पर स्थायी होने तक वेतन संरक्षण का हकदार है । उनका आगे कथन है कि जहाँ तक नगर निगम, जेवीवीएनएल और अन्य निगमों के कर्मचारियों का संबंध है, माननीय न्यायालय पहले ही यह मान चुका है कि राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी लाभ पाने के हकदार हैं। अपीलार्थी भी वेतन सरंक्षण का हकदार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को वेतन संरक्षण प्रदान कर आरपीएस के पद पर नियुक्त करें तथा अपीलार्थी को अंतिम वेतन के आधार पर वेतन समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे तथा अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत आवेदन और दिनांक 04.10.2024 के नोटिस पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी जो पूर्व में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के सहपटित राज. नगर पालिका सेवा नियम–1963 के तहत राजस्व अधिकारी द्वितीय के पद पर नियुक्त थे, तदुपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त राजस्थान पुलिस सेवा में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के पद पर नियुक्त हुये जिन्होंने अपनी

पूर्व सेवा के पद के वेतन आहरण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया था साथ ही उन्होंने विकल्प पत्र में **यह उल्लेख किया है कि वह राज्य सेवा में नवनियुक्त है। उक्त आरपीएस (प्रो.) की नवनियुक्त के आधार पर ही इनका वेतन निर्धारण स्थिर कर पारिश्रमिक दिया गया।** अपीलार्थी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 के सहपठित राज. नगर पालिका सेवा नियम–1963 के तहत राजस्व अधिकारी द्वितीय के पद पर दिनांक 09.11.2016 को नियुक्ति हुई अपीलीर्थी को राजस्व अधिकारी द्वितीय के पद पर दिनांक 04.03.2019 को नियमित किया गया। अपीलार्थी की आरएएस की परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के उपरान्त राजस्थान पुलिस सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के पद पर दिनांक 24.05. 2024 को नियुक्ति हुई। अपीलार्थी को पूर्व सेवा से कार्यमुक्त करते हुए अपीलार्थी ने पुलिस सेवा में दिनांक 03.06.2024 को ज्वॉईन कर लिया। अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 330 (क) सपठित राज. नगर पालिका सेवा नियम–1963 के नियम–26(2) के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित होने पर हुई थी। इससे स्पष्ट होता हैं कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2(iii) (ख) के **परन्तुक के अनुसार जिन व्यक्तियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते को नियमित करने के लिए पृथक् से नियम बने हुये हैं, उन पर राज. सेवा नियम लागू नहीं होते है** भले ही इन नियमों जैसी सेवा शर्तों का उल्लेख कर दिया गया हो अर्थात् इस प्रकरण में राज. सेवा नियम लागू नहीं होते है, जब राज. सेवा नियम लागू नहीं होते हैं तो राज. सेवा नियमों के नियम 26(i) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त नियम के प्रावधान उन पूर्व कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राज. सेवा नियमों से शासित है, अतएव तत्समय इसी भावना के अनुरूप आरपीएस (प्रशिक्षु) में नवनियुक्ति मानकर वेतन निर्धारण किया गया है। जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, खारिज की जावे।

4. अपीलार्थी ने अपील में जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वित्त विभाग द्वारा दिनांक 3010.2017 (अनुलग्नक–9) के द्वारा राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–24 में वेतन संरक्षण के संबंध में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते अपीलार्थी को पे–प्रोटेकशन का लाभ नहीं दिया गया है, जो अनुचित है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की पिछली सेवा पर विचार करने में विफल रहा हैं। माननीय न्यायालय ने कई मामलों में पाया है कि अपीलार्थी नियमित सरकारी सेवा में था,

जिसका चयन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है और वेतन में कटौती उचित नही है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 10567/2023 ममता सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 (अनुलग्नक–10) के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी को एल.एस.जी में उसकी पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित वेतनमान और सेवा लाभ प्रदान करे। माननीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने भी कई बार यह टिप्पणी की है कि "नगरपालिका कर्मचारी जिनका संवर्ग राज्य सेवा में एकीकृत है, वे समान वेतनमान और सेवा शर्तों के हकदार हैं। एक बार जब स्थानीय निकाय के कर्मचारी चयन के माध्यम से राज्य संवर्ग में समाहित या नियुक्त हो जाते हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनके पिछले वेतन की रक्षा की जानी चाहिए।"

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 09.11.2016 द्वारा स्थानीय निकाय विभाग में राजस्व अधिकारी–II के पद पर कार्यरत था। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात् अपीलार्थी को स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थाईकरण किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी एल.एस.जी. विभाग में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए आरपीएस के पद पर भर्ती के लिए आरएएस प्रतियोगी परीक्षा–2021 में भाग लिया और अपीलार्थी चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् राजस्थान पुलिस सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के पद पर दिनांक 24.05.2024 को नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 03.06.2024 को एल.एस.जी. विभाग से विधिवत रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 03.06.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने पूर्व विभाग गत भुगतान प्रमाण–पत्र एवं सेवा पुस्तिका प्रत्यर्थी विभाग में भेजी। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने पे–प्रोटेकशन देने से इंकार कर दिया कि आर.एस.आर. के नियम–24 और 26 केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों पर लागू होते है, नगरीय निकायो, पचायती राज संस्थाओं, बोर्डो और निगमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी पे–प्रोटेकशन का हकदार नहीं है और कार्मिक की सेवा नये सिरे से शुरू मानी जायेगी। जहां तक नगर

निगम, जेवीवीएनएल और अन्य निगमों के कर्मचारियों का संबंध है, माननीय न्यायालय ने पहले ही माना है कि ऐसे निगमों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष है और वे सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 7239/20217 सुरेन्द्र कुमार व्यास एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के दो प्रकरणों में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"34. Though, it is true that the separate corporation has been formed making it a separate legal entity but for seeing the impllcation the Suh-Rule (ii) of Rule 6 of the Rules of 1963, this Court has to determine as to whether the Nigam will come withiun the purpose of Department of Government of Rajasthan for the purpose of such reservation or not and the answer to it is that in the broader definltion of Department of Satte of Rajasthan shall include the cmployees of Nigam as they for the all practical purposes are discharging public duties as the employees of any of the Department of State Governmet.

35. The Sub Rule (iii) of Rule 6 of the Fules of 1963 while mentioning the term Department of Government, cannot be construed strictly only upon the technically declared employee of the Department of the Government of Rajasthan and has to include all the limbs of State of Rajasthan, who practically are discharging the same functions whether it is in the reformative area, productive area and distributive area or any other administrative functions which are in the present case being discharged by the Nigam.

36. This Court has noticed that on all occasions, the Government of Rajasthan has reflected its Enargy Department to be in control of the corporation in concern and thus, any separation for the purpose of depriving the benefit of 12.5% to the ministerial

employees shall be detrimental to the rights of present petitioners where the Commercial Assistant -1 (UDC) and Commercial Assistant II (UDC) of the Nigam which admittedly in Annexure 21. also reflects as Rajasthan Government undertaking.

37. Thus, this Court finds that the Nigam is not a body so separate or so independent so as to have individual impact on its employees altogether. Rather the legislative Intention is clearly for providing the preference to the ministerial staff of the Department of Government of Rajasthan to include such employees em who are discharging the duties of Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd. The precedent law does not apply in the present case as the Vinay Mohan Kiradoo (supra) is dealing with the category change and cannot have any bearing in the present case and the case of Dhirendra Sharma (supra) is only dealing with the applicability pointnient Ru of Compassionate Appointment Rules, 199 1996 which cannot have any bearing in the present case.

38. In view of the aforesaid observations and discussions, the present writ petitions are allowed and the respondents are directed to give 12.5% reservation to the petitioners for the appointment to the post of Junior Accountant under the Rules of 1963 treating the Nigam to be a Department of Government in light of the Sub-Rule (iii) of Rule 6 of the Rules of 1963. It is needless to say that any order debarring the petitioners from being treated as Ministe, Jal staff of the Department of Government of Rajasthan shall have no effect in the present recruitment and the petitioners shall be considered in 12.5% seats reserved for ministerial enployees in Department of State on their own merits."

उक्त निर्णय में निगम को राज्य सरकार का ही एक विभाग माना है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी पूर्व में स्थानीय निकाय विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पाटिशन संख्या 5781/2018 हनी सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2022 द्वारा निम्न आदेश दियाः–

"In view of the ratio as laid down in Pooja Bhati's case (supra) and in view of observations made above, the present petition I the petitioner deserves to be allowed and is hereby allowed. The respondent Department is directed to grant the regular pay scale and the benefit of service to the petitioner keeping in consideration his earlier services with JVVNL."

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हगारा मत है कि अपीलार्थी आर.पी.एस. के पद पर गृह विभाग के पद पर नियुक्ति से पूर्व स्थानीय निकाय विभाग में राजस्व अधिकारी–II के रूप में स्थाई कर्मचारी था और स्थानीय निकाय विभाग ने नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए अपीलार्थी की एलपीसी प्रत्यर्थी विभाग को भेजी है और अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा विधिवत रूप से कार्यमुक्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकरणों में पारित निर्णय एवं तय किए गए सिद्धांतों में यह माना है कि बोर्ड/निगमों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर हैं और वे राज्य सरकार के सभी लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। निमग/बोर्ड राज्य सरकार का एक विभाग है। अतः उक्त न्याय दृष्टांतों के मध्यनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आर.पी.एस. के पद पर स्थाईकरण होने तक पूर्व विभाग से प्राप्त एलपीसी के अनुसार वेतन भत्तों का भुगतान किया जावे एवं अन्य पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य